संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़
स्वास्थ्य भवन, सेक्टर–19, भू–तल, नया रायपुर, अटल नगर

क्र./शि.स्वा./GENS/41907/2026/58 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/08/2026

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जिला– समस्त, छत्तीसगढ़

विषयः– **राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस (NDD) कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 10 अगस्त 2026 एवं मॉपअप दिवस दिनांक 17 अगस्त 2026 को किये जाने हेतु दिशा–निर्देश।**

संदर्भः– भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक DO Letter No Z-280201912022-CH दिनांक 16.07.2026

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि राज्य में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन **दिनांक 10 अगस्त 2026** को राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों, शासकीय विद्यालयों/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं/केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों/मदरसों/निजी स्कूलों/अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों/महाविद्यालयों/तकनीकी शिक्षा संस्थानों/नर्सरी स्कूलों एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से 1 से 19 वर्षीय बच्चों, किशोर/किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली का सेवन कराया जाना है तथा मॉप–अप दिवस **दिनांक 17 अगस्त 2026** को आयोजित किया जाना है, जिसमें कार्यक्रम के दौरान छुटे हुए बच्चों को दवा सेवन कराया जाना है, जिससे कि बच्चों, किशोर/किशोरियो के स्वास्थ्य एवं पोषण का स्तर, एनीमिया की रोकथाम, बौद्धिक विकास तथा शाला में उपस्थिति में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के आयोजन हेतु जिले में किए जाने वाली गतिविधियों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः–

(A) कार्यक्रम हेतु लक्षित आयु वर्गः–

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन राज्य के समस्त जिलों में किया जायेगा जिसके अंतर्गत 01 से 19 वर्ष के समस्त बच्चों एवं किशोर/किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली का सेवन कराई जावेगी।

(B) लक्ष्य :–

राज्य में **कुल 1,10,15,942** 01 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर/किशोरियों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम अंतर्गत कृमिनाशक दवा/एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली खिलाएं जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका जिलावार लक्ष्य **(परिशिष्ट–1)** संलग्न है।

(C) दवाई सेवन कराने का तरीका :–

राज्य के समस्त 01 से 19 वर्ष के बच्चों, किशोर/किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली का सेवन निम्नानुसार कराया जाना हैः–

एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा दवाई सेवन कराने का तरीका :–

उम्र	खुराक	सेवन का तरीका	सेवा प्रदाता	स्थल
1 से 2 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं	आधी गोली	आधी गोली चूरा/पिस करके पानी के साथ मिलाकर चम्मच से पिलाई जावे।	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर
2 से 3 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं	एक गोली	पूरी एक गोली चूरा/ पिस करके पानी के साथ सेवन कराई जावे।	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर

Scanned with CamScanner

3 से 5 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं	एक गोली	पूरी एक गोली चबा करके पानी के साथ सेवन कराई जावे।	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं	समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर
5 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर/किशोरियों	एक गोली	पूरी एक गोली चबा करके पानी के साथ सेवन कराई जावे।	नोडल शिक्षकों द्वारा	समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं/केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों/मदरसों/ निजी स्कूलों/अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों/महाविद्यालयों/ तकनीकी शिक्षा संस्थानों पर

नोटः– अपंजीकृत एवं शाला त्यागी बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों में एल्बेंडाज़ॉल की निर्धारित गोली खिलाया जावेगा तथा जो बच्चें, किशोर/किशोरियां राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के दिन आंगनबाड़ी केन्द्र तथा स्कूल पर कृमि मुक्ति दवा एल्बेंडाज़ॉल का सेवन करने से वंचित रह गए हों, उन्हें मॉप–अप दिवस के दौरान एल्बेंडाज़ॉल की निर्धारित गोली का सेवन अनिवार्य रूप से कराया जावे।

(D) कार्यक्रम का कियान्वयन एवं अंतर्विभागीय समन्वयः–

1 कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थ्य विभाग के साथ शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वच्छ भारत मिशन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन "बिहान", नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना तथा जिलों में कार्यरत अन्य सहयोगी संस्थाओं, (CSR समूह) एवं अन्य विभाग के समन्वय से किये जायेंगे।

2 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, जिला समन्वय समिति की बैठक **03–07 अगस्त 2026** के मध्य आयोजित कर संबंधित विभागों, जिले में कार्यरत गैर शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों तथा निजी विद्यालय संघ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जावे।

3 राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का शुभांरभ विशिष्ट एवं गणमान्य जनप्रतिनिधि/जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक **10 अगस्त 2026** को किया जावे।

4 राज्य के समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं/केन्द्रीय विद्यालय/नवोदय विद्यालय/मदरसा/निजी स्कूलों/अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों द्वारा 6 से 19 वर्षीय बच्चों एवं किशोर/किशोरियों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाज़ॉल की एक गोली का सेवन अपने सामने स्कूलों में ही कराई जावे।

5 आगंनबाड़ी केन्द्र तथा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर लाने के लिए मितानिनों की अहम भूमिका होगी। अतः समस्त मितानिनों द्वारा स्कूल/आंगनबाड़ी केन्द्र ना जाने वाले 1 से 19 वर्षीय बच्चों एवं किशोर/किशोरियों की सूची राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व तैयार करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगी। उपरोक्त सूची तैयार करने के लिए मितानिनों द्वारा आवश्यकतानुसार स्थानीय शिक्षकों/विद्यालयों का सहयोग लिया जा सकता है। मितानिन द्वारा स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची तैयार करने तथा आंगनबाड़ी केन्द्र में एल्बेंडाज़ॉल की गोली सेवन में सहयोग प्रदान करने पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि प्रावधानित है।

6 राज्य के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत तथा अपंजीकृत (1 से 5 वर्षीय बालक एवं बालिकाओं) तथा शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी 6 से 19 वर्षीय बच्चों, किशोर एवं किशोरियों को मितानिनों के सहयोग से निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्रों में कृमिनाशक दवा एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली का सेवन कराई जावे।

7 19 वर्ष के विद्यार्थियों, जो विभिन्न महाविद्यालय तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों में अध्यनरत हैं; उनको भी कार्यक्रम के अंतर्गत कृमि नाशक दवा दी जायेगी। (नोटः–इन संस्थाओं की रिपोर्टिंग

Scanned with CamScanner

पृथक रूप से निर्धारित प्रपत्र में खण्ड चिकिसा अधिकारी को प्रेषित की जावेगी तथा संकलित रिपोर्ट को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से राज्य नोडल अधिकारी को प्रेषित की जावेगी।)

(E) विभागीय भूमिका एवं अपेक्षाएं:–

1. महिला एवं बाल विकास विभाग (आई.सी.डी. एस.) की भूमिका :–

अ/– विभाग की भूमिका :–

- अपने विभाग से संबंधित अधिकारी जिला/विकासखण्ड/ सेक्टर एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन के लिए दिशा–निर्देश जारी करना।
- स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दवा प्रदायगी तथा संभावित प्रतिकूल घटना के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित करना।
- निगरानी और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य करना।
- समय पर रिपोर्टिंग कार्य करना।

ब/– आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका :–

- कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में बच्चों, माता–पिता या अभिवावकों तक जानकारी पहुँचाना।
- अपने क्षेत्र के मितानिनों को गैर पंजीकृत एवं शाला त्यागी बच्चों की सूक्ष्म–कार्योजना एवं दवा सेवन करने में सहयोग प्रदान करना।
- सामुदायिक जागरूकता की गतिविधियां सुनिश्चित करना, विशेषकर स्कूल ना जाने वाले बच्चों के लिए विशेष सहयोग प्रदान करना।
- 1–5 साल के सभी पंजीकृत और गैर–पंजीकृत बच्चों और 6–19 साल के स्कूल ना जाने वाले बच्चों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाज़ॉल का सेवन सुनिश्चित किया जावे
- जो बच्चे बीमारी या अनुपस्थिति के कारण छूट गए हो, उन्हें मॉप–अप दिवस पर दवाई सेवन सुनिश्चित किया जावे।
- दवा खिलाने के बाद किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए घर के अभिवावक को अपना फ़ोन नंबर एवं निकटतम एमओ–पीएचसी और एएनएम का फ़ोन नंबर की जानकारी प्रदान करना।
- सभी आंगनवाडी कार्यकार्ताओं द्वारा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रतिकूल घटना प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन किया जावे और प्रतिकूल घटना होने पर तुरंत ए.एन.एम और चिकित्सा अधिकारी (MO) – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) से समन्वय किया जावे।

2. शिक्षा विभाग की भूमिका :–

अ/–विभाग की भूमिका :–

- अपने विभाग से संबंधित अधिकारी जिला/विकासखण्ड/सेक्टर एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन के लिए दिशा–निर्देश जारी करना।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ विभाग के साथ सहयोग एवं समन्वय प्रदान करना।
- स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से सभी स्कूलों में दवा प्रदायगी तथा संभावित प्रतिकूल घटना के प्रबंधन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना।
- शिक्षक द्वारा समुदाय जागरूकता गतिविधियां जैसे अभिभावक– शिक्षक बैठक, विद्यालय प्रबन्धन समिति बैठक में कृमि नियंत्रण के लाभ और कार्यक्रम आयोजन की तिथियों का प्रचार– प्रसार करना।
- प्रार्थना सभा एवं बैग लेश डे के दौरान राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
- निगरानी और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य करना।
- समय पर रिपोर्टिंग कार्य करना।

Scanned with CamScanner

ब/–शिक्षकों की भूमिका :–

- कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में बच्चों को समुचित जानकारी प्रदान करना।
- स्कूल में पंजीकृत 6–19 आयु वर्ग के सभी बच्चों/ किशोर/किशोरी को निर्धारित खुराक के अनुसार दवाई खिलाना।
- जो बच्चे बीमारी या फिर अनुपस्थिति के कारण छूट गए हो, उन्हें मॉप–अप दिवस पर दवाई सेवन सुनिश्चित करना।
- दवा खिलाने के बाद किसी भी चिकित्सकीय सहायता के लिए बच्चों/शिक्षकों को निकटतम एमओ–पीएचसी और एएनएम का फ़ोन नंबर उपलब्ध कराना।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रतिकूल घटना प्रबंधन प्रोटोकॉल का पालन करना और चिह्नित होने पर तुरंत एएनएम और एमओ–पीएचसी से समन्वय करना।
- दवाई खिलाने के बाद अपने रजिस्टर में कृमि मुक्त किये गए बच्चों/ किशोर/किशोरी की संख्या दर्ज किया जावे।
- कवरेज रिपोर्टिंग प्रपत्र तैयार करते हुए परीक्षण कराकर समय से संबंधित एएनएम को जमा किया जावे।

3. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका :–

- अपने विभाग से संबंधित अधिकारी जिला/विकासखण्ड/ पंचायत एवं सरपंच /वार्ड सदस्य को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम का आयोजन के लिए दिशा–निर्देश जारी करना।
- जनपद स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम में सहयोग एवं समन्वय प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा– निर्देश जारी करना।
- ग्राम सभा/बैठकों में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के संदेशों को शामिल करते हुए समुदाय में जागरूकता फैलाने में मदद करना।
- ग्राम सभा के दौरान राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम पर शत प्रतिशत बच्चों को कृमि मुक्त करने के लिए चर्चा करना।

4. स्वच्छ भारत मिशन की भूमिका :–

- विभिन्न स्तरों की बैठक मे राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के संदेशों का जन जागरूकता हेतु समावेश करने में सहयोग करना।
- समस्त स्कूलों, आंगनवाडी, मदरसा एवं तकनीकी संस्थाओं में hand washing (हाथ–धोने) का आयोजन निरंतर किया जावे।
- राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम की आईईसी सामग्री का उपयोग कर जन– जागरूकता में सहयोग प्रदान करना।

5. मितानिनों की भूमिका :–

- मितानिनों द्वारा स्कूल/आंगनबाड़ी केन्द्र ना जाने वाले 1 से 19 वर्षीय बच्चों एवं किशोर/किशोरियों की सूची राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के एक सप्ताह पूर्व तैयार करने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रदान करना।
- कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के बारे में बच्चों को समुचित जानकारी प्रदान करना।
- आगंनबाड़ी केन्द्र तथा स्कूल नहीं जाने वाले बच्चें को नजदीकी आंगनबाड़ी केन्द्र पर ले जाकर दवाई का सेवन कराना।
- दवा खिलाने के बाद किसी भी चिकित्सा सहायता के लिए बच्चों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पहुचानें और एएनएम का फ़ोन नंबर उपलब्ध कराने में मदद करना।

Scanned with CamScanner

(F) वितरित की जाने वाले सामाग्रियों का विवरणः–

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रशिक्षण अथवा बैठक के दौरान ए.एन.एम. द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/शिक्षकों को दवाईयां एवं रिपोर्टिंग प्रपत्रों का अवश्य वितरण सुनिश्चित किया जावे आरएचओ/ ए.एन.एम. (सब सेंटर) तक एल्बेंडाज़ॉल की गोलियों के परिवहन और आपूर्ति के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू)/ आरबीएसके स्क्रीनिंग वाहनों अथवा जिलों में उपलब्ध वाहनों का भी उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम कियान्वयन हेतु दी जानें वाली सामाग्रियों (एनडीडी किट) का विवरण निम्नानुसार :–

	सामाग्रियों की संख्या	सामाग्रियों की संख्या		
		शिक्षक	आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं	मितानिन
1.	कृमिनाशक दवा (एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली)	स्कूल में पंजीकृत बच्चों की संख्या के अनुसार	आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकृत, शाला त्यागियों/ स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या के अनुसार	–
2.	पोस्टर	1	1	0
3.	रिपोर्टिंग प्रपत्र सह हैण्डआउट	1	1	1
4.	सामुदायिक जागरूकता प्रपत्र (Community hand bill)	0	0	5

<u>नोटः</u>– 1. ए. एन. एम. द्वारा अपने स्टॉक पंजी में एल्बेंडाज़ॉल गोली की मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी की तिथि, बैच नंबर एवं कंपनी का नाम अवश्य संधारित किया जावे।

2. सामुदायिक जागरूकता प्रपत्र प्रति मितानिन 5 प्रपत्र दिए जावेगे; जिसे मितानिन द्वारासमुदाय अथवा पंचायत प्रतिनिधियों में व्यवहार परिवर्तन के लिए उपयोग किया जावेगा।

3 सूची अनुसार विकासखण्ड स्तर, सेक्टर/उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण के दौरान निम्नानुसार वितरण किए जावे।

(G) प्रशिक्षण कार्ययोजना :–

जिला, विकासखण्ड एवं सेक्टर स्तरीय प्रशिक्षण के दौरान ऑडियों–वीडियो सामग्रियों का समुचित उपयोग किए जावे। इस हेतु राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के प्रशिक्षण सामग्री। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम हेतु विभिन्न स्तर पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण की तिथियां निम्नानुसार हैं:–

प्रशिक्षण स्तर	विवरण (प्रतिभागी)	निर्धारित समय– सीमा	दायित्व
जिला स्तरीय	शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जिला स्वच्छता मिशन के जिला स्तरीय प्रभारी अधिकारी, शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के शहरी कार्यक्रम प्रबंधक तथा तकनीकी संस्थान से नामांकित व्यक्ति, जिला मितानिन समन्वयक तथा जिला स्तर पर कार्यरत गैर शासकीय संस्थानों के प्रतिनिधिगण।	24 जुलाई 2026 तक	जिला नोडल अधिकारी
विकासखण्ड स्तरीय	तीनों विभागों (शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास) के विकासखण्ड स्तरीय प्रभारी अधिकारी संकुल प्रभारी (संकुल स्तर) शिक्षा (संकुल), सीडीपीओ, चिकित्सा अधिकारी, सेक्टर पर्यवेक्षक (स्वास्थ्य एवं मबावि), मितानिन समन्वयक/ प्रशिक्षिका, तकनीकी संस्थान से नामांकित व्यक्तियों का प्रशिक्षण		खण्ड चिकित्सा अधिकारी

Scanned with CamScanner

संकुल स्तरीय (शिक्षा विभाग)	प्रत्येक शाला (शासकीय अर्द्धशासकीय/ अनुदान प्राप्त प्राईवेट विद्यालय/ प्राईवेट विद्यालय/केन्द्रीय विद्यालय/ नवोदय विद्यालय/ मदरसा) से प्रिंसिपल हेडमास्टर/ नोडल शिक्षक का प्रशिक्षण/ सेक्टर पर्यवेक्षक।	31 जुलाई 2026 तक	चिकित्सा अधिकारी/ संकुल नोडल अधिकारी
सेक्टर स्तरीय	महिला एवं बाल विकास के पर्यवेक्षक/ आरएचओ/ ए. एन.एम. / आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं /मितानिनों का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण।		चिकित्सा अधिकारी/ सेक्टर चिकित्सा अधिकारी/ सेक्टर सुपरवाइजर

(H) जिले में प्रचार–प्रसार एवं सोशल मीडिया गतिविधियां :–

प्रचार–प्रसार के रूप में रेडियो, सोशल मिडिया ;फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, समाचार पत्रों हेतु ब्रिफिंग किए जावे जिला स्तर पर प्रचार–प्रसार के रूप में माईकिंग, दीवार लेखन, लोकल केबल टीवी, उद्घाटन समारोह मिडिया ब्रिफिंग किया जावें, माईकिंग और
दीवार लेखन हेतु नमूना पृथक से प्रेषित किया जावेगा। कार्यक्रम के व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न स्तर पर निम्नानुसार गतिविधियॉ अवश्य किए जावेः–

- स्वास्थ्य, शिक्षा तथा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी अपने–अपने फेसबुक, टेलीग्राम और मौजूदा व्हाट्सएप समूहों का उपयोग प्रशिक्षण और जागरूकता सन्देश हेतु आवश्यक रूप से करें।
- पर्यवेक्षक/सुपरवाइजर, ए.एन.एम. शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और मितानिन अपने समूहों के अलावा माता–पिता, अभिभावकों एवं सामुदायिक जागरूकता हेतु भी सोशल मीडिया का अधिक से अधिक उपयोग करें।

(I) कृमिनाशक दवाई एल्बेंडाज़ॉल 400 मि.ग्रा की गोली का सेवन के पूर्व बरती जाने वाली सावधानियांः–

1 से 19 वर्ष के बच्चों एवं किशोर/ किशोरियों को कृमिनाशक दवाई का सेवन कराने के पूर्व ि नम्नांनुसार सावधानियों का पालन अवश्य सुनिश्चत किए जावेः–

1. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/ प्रभारी नोडल शिक्षक द्वारा एल्बेंडाज़ॉल सेवन कराने से पहले दवा की अवसान तिथि (Expiry date) की जांच करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी अवश्य लिए जावे तथा जो बच्चें बीमार हैं या कोई अन्य दवाई लें रहें हैं तो उन्हें कृमि नियंत्रण की दवाई ना खिलाई जावे
2. किसी भी बच्चों को जबरदस्ती दवाई का सेवन न कराई जावें।
3. किसी भी परिस्थिति में कृमि मुक्ति की दवाई बच्चों को घर ले जाने के लिए न दें तथा बच्चों को दवाई हमेशा अपने ही सामने खिलाई जावे।

(J) प्रतिकूल घटना प्रबंधन :–

1. कृमिनाशक दवा बच्चों, किशोर एवं किशोरियों के लिए सुरक्षित है। बच्चों के शरीर में कृमि के कारण कुछ मामूली/हल्के/सामान्य प्रतिकूल प्रभाव, जैसे जी मिचलाना, उल्टी दस्त, पेट में हल्का दर्द और थकान अनुभव होने की संभावना हो सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों को तीव्र कृमि संक्रमण होता है, उन्हें आमतौर पर कुछ अस्थायी प्रभाव भी हो सकते है; जिनको आसानी से स्कूल और आंगनबाड़ी केन्द्रों में ही देखभाल करते हुए ठीक किया जा सकता है। इन परिस्थितियों में बच्चों, किशोर एवं किशोरियों को खुली छायादार जगह में लिटाकर आराम करवाएं और पीने का साफ़ पानी दें।

Scanned with CamScanner

2. कृमिनाशक दवा/एल्बेंडाजॉल चबाकर खाने वाली गोली है। अतः ठीक से बिना चबाए खाने से यह गले में अटक सकता है। चोकिंग (दवाई का गले में अटकना) साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है; फिर भी अगर गोली गले में अटक जाए तो बच्चे को छाती के बल अपनी गोद में लिटाएं और पीठ हल्के से थपथपाएं; जिससे गोली निकल जाएं।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/प्रभारी नोडल शिक्षकों द्वारा सभी परिवार वालों को सामान्य प्रतिकूल घटना एवं कृमि के कारण होने वाले मामूली दुष्प्रभाव (जैसे जी मिचलाना, उल्टी, दस्त, पेट में हल्का दर्द और थकान का अनुभव) के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए उससे निपटने हेतु कुछ सरल उपाए भी बताएं (जैसे बच्चे को खुली जगह में लेटाना, पीने का साफ पानी देना एवं स्वयं की निगरानी में रखना इत्यादि) साथ ही इसकी तत्काल सूचना हेतु अपना मोबाइल नंबर उन्हें अवश्य देवें तथा जागरूकता हेतु विभिन्न माध्यम जैसे एसएमएस, व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी उपयोग किया जावे।
4. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों/ स्कूलों में निकटतम पीएचसी/स्वास्थ्य सुविधा केंद्र/ आरएचओ/ ए. एन.एम. का संपर्क नंबर आवश्यक रूप से प्रदर्शित किए जावे।
5. प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन हेतु सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम पर ओ. आर. एस. पैकेट, डोमपेरिडॉन टेबलेट, डाईसॉइक्लोमिन टेबलेट/सस्पेन्शन, पैरासिटामॉल टेबलेट/सस्पेन्शन तथा सेट्रिजिन टेबलेट की व्यवस्था मामूली प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु उपलब्ध रहें।
6. सभी आरएचओ/ए.एन.एम. अपने स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत होने वाली प्रतिकूल घटना की जानकारी अवश्य रखें एवं किसी भी प्रकार प्रतिकूल घटना के समाधान हेतु मितानिन/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के संपर्क में रहें।
7. विद्यालय एंव आंगनबाड़ी केन्द्रों में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना का प्रबंधन जारी दिशा–निर्देश के अनुसार किया जावे। विशेष परिस्थितियों में चिकित्सकीय सलाह के लिए राज्य द्वारा संचालित हेल्पलाईन नम्बर 104 पर संपर्क किया जावे तथा रेफरल की स्थिति में हेल्पलाईन नम्बर 108 संजीवनी एम्बुलेंस की सेवा ली जावे।

(K) कार्यकम के सफल क्रियान्वयन हेतु सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य :–

कार्यक्रम की निगरानी हेतु राज्य/जिले/विकासखण्ड के अधिकारियों द्वारा अपने संबंधित केन्द्रों/महाविद्यालय में निर्धारित चेकलिस्ट के माध्यम से सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य किया जाना है। सहयोगात्मक पर्यवेक्षण कार्य हेतु ऑनलाईन लिंक आपको पृथक से प्रेषित की जावेगी।

(L) कार्यक्रम का रिपोर्टिंग हेतु समय–सीमा :–

राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के सफल कियान्वयन उपरांत विकासखंड स्तर पर राज्य द्वारा प्रदायित समेकित प्रपत्र/लिंक गूगल शीट द्वारा डाटा का संकलन/डाटा सत्यापन करते हुए रिपोर्टिंग निम्नानुसार समय–सीमा में किया जाना है:–

तिथि	रिपोर्टिंग गतिविधियां	रिपोर्ट जमा करने का स्थल	रिपोर्टिंग प्रपत्र
18 अगस्त 2026 तक	• आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 • समस्त शासकीयों/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं/केन्द्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों/मदरसों/निजी स्कूलों/अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों/महाविद्यालयों/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रभारी द्वारा रिपोर्टिंग प्रपत्र–2	संबंधित क्षेत्र के आरएचओ/ ए. एन.एम. के पास जमा किया जावे।	रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2
20 अगस्त 2026 तक	• विकासखण्ड के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2 को आरएचओ/ ए.एन.एम. द्वारा समेकित	संबधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ शहरी प्राथमिक	समेकित रिपोर्टिंग प्रपत्र–3 साफ्ट कापी एवं कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र

Scanned with CamScanner

	रिपोर्टिंग प्रपत्र–3 में संकलित करते हुए कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र को भरकर चिकित्सा अधिकारी–पीएचसी अथवा खंड चिकित्सा अधिकारी को जमा किया जायेगा। • शहरी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्र एवं स्कूलों से प्राप्त रिपोर्टिंग प्रपत्र–1 एवं 2 को आरएचओ/ ए. एन.एम. द्वारा समेकित रिपोर्टिंग प्रपत्र–3 में संकलित करते हुए कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र को भरकर चिकित्सा अधिकारी–शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा शहरी कार्यक्रम प्रबंधक को जमा किया जायेगा।	स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	हस्ताक्षरित प्रति
22 अगस्त 2026 तक	विकासखण्ड के सभी आरएचओ/ ए. एन. एम. से प्राप्त कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र को खंड चिकित्सा अधिकारी/शहरी कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा विकासखण्ड समेकित प्रपत्र–4 के माध्यम से समेकित एवं सत्यापित करते हुए कुल कवरेज रिपोर्ट को विकासखण्ड कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	विकासखण्ड समेकित प्रपत्र–4 साफ्ट कापी एवं कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र हस्ताक्षरित प्रति
26 अगस्त 2026 तक	जिला स्तर पर नोडल अधिकारी द्वारा विकासखण्ड स्तर/शहरी क्षेत्र से प्राप्त जानकारी को सत्यापित करते हुए प्राप्त कवरेज रिपोर्ट को गूगल शीट में एंट्री कराते हुए/ दिए गए लिंक के माध्यम से/ जिला स्तरीय समेकित प्रपत्र–5 संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा।	राज्य नोडल अधिकारी संचालनालय, नवा रायपुर।	गूगल शीट में एंट्री अथवा राज्य द्वारा प्रदायित लिंक द्वारा जिला स्तरीय समेकित प्रपत्र–5 की साफ्ट कापी के साथ कॉमन रिपोर्टिंग प्रपत्र हस्ताक्षरित प्रति

अतः उपरोक्तानुसार समस्त निर्देशों का पालन करते हुए राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम (NDD) का क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

<u>संलग्न :– परिशिष्ट–1</u>

उप संचालक (शिशु स्वास्थ्य)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

पृ. क्र./शि.स्वा./GENS/41907/2026/59 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/08/2026

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
2 आयुक्त सह् मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
3 आयुक्त सह् संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, नवा रायपुर, अटल नगर छत्तीसगढ़।
4 संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
5 संचालक, उच्च शिक्षा, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
6 संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
7 संचालक, पंचायत विभाग, विकास भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
8 संचालक, तकनीकी शिक्षा, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
9 मिशन संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, रायपुर, छत्तीसगढ़।
10 कलेक्टर सह् जिला दण्डाधिकारी, जिला– समस्त छत्तीसगढ़।
11 संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं समस्त संभाग, छत्तीसगढ़।
12 उप संचालक (IEC) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
13 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
14 राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एविडेन्स एक्शन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
15 पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, रायपुर, छत्तीसगढ़।
16 राज्य प्रतिनिधि, न्यूट्रिशन इंटरनेशनल/पिरामल स्वास्थ्य रायपुर।
17 जिला नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम, जिला समस्त छत्तीसगढ़।

KR Bhagat

उप संचालक (शिशु स्वास्थ्य)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner